

पच्चाडिक्री
यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

नं० 03/2025

खान

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र अंग्रेजसिंह उर्फ जगीरसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादी

बनाम

1. दलीप कौर पत्नी जगीरसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. बलवीरकौर पत्नी गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
3. असगर खॉ पुत्र अहमदयार जाति मुसलमान निवासी 2 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
4. नगेन्द्रपाल सिंह पुत्र कर्मसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
5. बलीया खॉ पुत्र अहमदयार जाति मुसलमान निवासी 2 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
6. मोहनसिंह पुत्र जलौरसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
7. हरविन्द्र सिंह पुत्र कर्मसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री इन्द्रजीतसिंह :-वादी

2 अधिवक्ता श्री महावीर वर्मा- प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 27/3/25




आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री इन्द्रजीतसिंह व वकील प्रतिवादी महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर


अधिकांश घोरणा की जाती है कि वादीया का अतः वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा

घोरणा की जाती है कि चक नं० 2 जीजीआर के प०न० 216/293 मु० 28 किलानं० 8,9,10,11,12, 13/.085 पश्चिमी दिशा, प्रतिवादीया सं० 1 दलीप कौर के कब्जा काश्त में चक नं० 2 जीजीआर के प०न० 216/293 मु० 28 किलानं० 19,20/0.506 है० प्रतिवादीया सं० 2 बलवीरकौर के कब्जा काश्त में चक नं०

2 जीजीआर के प0न0 215 / 293 मु0 29 किलानं0 6,7,14,15,16,17,24,25 प0न0
216 / 293 मु0 28 किलानं0 13 / 168 है0 पूर्वी दिशा, 21, प0न0 216 / 294 मु0
37 किलानं0 1 उपरोक्त वर्णित आराजी का खाता प्रतिवादीगण से तकसीम कर
रकमराज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिए जाते है शेष खाता बदस्तुर
रखा जाये। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि
कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय
आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिकी आज दिनांक 27/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की
मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी